न्यूज़ टुडे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना संवैधानिक तौर पर भी अनिवार्य है

विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी के दौरान **कानूनी आधार बताए बिना किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करना** पुलिस के लिए गैर-कानूनी है।

- हालांकि, फैसले में स्पष्ट किया गया है कि गिरफ्तारी भले ही दोषपूर्ण हो सकती है, लेकिन **जांच, आरोप-पत्र और मुकदमा वैध** रहेंगे।

निर्णय के मुख्य बिंदु

- **मूल अधिकारों का उल्लंघन:** गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी न देना संविधान के **अनुच्छेद 21 और 22(1)** के तहत **अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन** है।
    - **अनुच्छेद 21: किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया** के अनुसार ही **उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित** किया जा सकता है।
    - **अनुच्छेद 22(1):** गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को **तुरंत इसका कारण** बताया जाना चाहिए। साथ ही, उसे **उसकी पसंद के कानूनी वकील से परामर्श लेने तथा बचाव कराने का अधिकार** है।
- **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 50A:** इसके तहत, कोर्ट ने **आरोपी व्यक्ति के मित्रों, रिश्तेदारों या नामित व्यक्तियों को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित** करने के महत्त्व पर भी जोर दिया। यह धारा गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देना अनिवार्य करती है।
    - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 47** में भी समान प्रावधान किया गया है।
- **जमानत के लिए निहितार्थ:** जब **अनुच्छेद 22(1)** का पालन न हो **तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि** वह आरोपी को तुरंत रिहा करने का आदेश दे। यह जमानत देने का आधार हो सकता है।
- गिरफ्तारी के आधारों के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को **उस भाषा में प्रभावी ढंग से जानकारी दी जाए, जिसे वह समझता है।**
- **सबूत का दायित्व:** अनुच्छेद 22(1) के तहत जिम्मेदारियों को साबित करने का भार जांच अधिकारी/ एजेंसी पर होगा।

गिरफ्तारी का आधार बताए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय

- **पंकज बंसल बनाम भारत संघ और अन्य वाद (2023):** अभियुक्त को लिखित तौर पर गिरफ्तारी का आधार/ कारण बताया जाना चाहिए। यह **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967** के तहत दर्ज मामलों में भी लागू होगा।
- **प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) वाद (2024):** इस मामले में यह स्पष्ट किया गया कि गिरफ्तारी या हिरासत के कारणों की सूचना देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और किसी भी स्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

प्रधान मंत्री ने भारत को वैश्विक मनोरंजन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए वेव्स (WAVES) सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की

वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। यह **मनोरंजन, क्रिएटिविटी और संस्कृति की दुनिया को एकीकृत** करता है।

- प्रधान मंत्री ने कहा कि **क्रिएटिव इकोनॉमी भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनाने में मदद करेगी।

क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में

- क्रिएटिव इकोनॉमी को **ऑरेंज इकोनॉमी** भी कहा जाता है। UNCTAD के अनुसार, क्रिएटिव इंडस्ट्री उन प्रक्रियाओं का समूह है जो क्रिएशन, प्रोडक्शन एवं डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े होते हैं। ये उद्योग क्रिएटिविटी और बौद्धिक संपदा का उपयोग करके आर्थिक मूल्य उत्पन्न करते हैं।
- क्रिएटिव इकोनॉमी में संस्कृति और विरासत से जुड़ी **ज्ञान-आधारित गतिविधियों** को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें आर्थिक मूल्य वाले **मूर्त और अमूर्त क्रिएटिव प्रोडक्ट** शामिल होते हैं, जैसे- **विज्ञापन, वास्तुकला, कला, संगीत, फिल्म निर्माण,** आदि।

क्रिएटिव इकोनॉमी का महत्त्व

- **आर्थिक संवृद्धि: वैश्विक GDP** में क्रिएटिव इकोनॉमी की हिस्सेदारी 3% के आस-पास है। साथ ही, यह दुनिया भर में **प्रतिवर्ष 2 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न** करती है।
    - एक्ज़िम बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, **2019 में भारत का क्रिएटिव वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात लगभग 121 बिलियन डॉलर** था।
- **रोजगार:** एशियाई विकास बैंक के अनुसार, यह क्षेत्रक **भारत की लगभग 8% कार्यशील जनसंख्या को रोजगार प्रदान** करता है।
- **सतत विकास:** यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) जैसे कि **SDG-5 (लैंगिक समानता), SDG-8 (बेहतर कार्य और आर्थिक समृद्धि)** आदि को बढ़ावा देती है।
- **सॉफ्ट पावर:** यह संगीत, नृत्य आदि के माध्यम से परस्पर जुड़ाव को बढ़ावा देकर तथा सीमा-पार संपर्क स्थापित कर सॉफ्ट पावर का विस्तार करने में योगदान देती है।

क्रिएटिव इकोनॉमी के समक्ष चुनौतियां

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित चुनौतियां	क्रिएटिव इकोनॉमी की परिभाषा संबंधी मुद्दे	बाजार पहुंच से जुड़ी बाधाएं	मापन संबंधी कठिनाइयां
डिजिटल रिप्रोडक्शन और नए मॉडल कॉपीराइट प्रवर्तन को जटिल बनाते हैं	विविध क्षेत्रकों में मान्य एक समान परिभाषा तय करने संबंधी चुनौतियां	लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत और सीमित बाजार उपलब्धता, क्रिएटिव कंटेंट तक पहुंच में बाधा डालती है	अमूर्त सांस्कृतिक मूल्यों के आर्थिक प्रभाव को मापने में कठिनाई उत्पन्न होती है

सरकार पंजाब के फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में पोटाश खनिज भंडार की खोज करेगी

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के एक सर्वे में **राजस्थान** में भी पोटाश भंडार की पहचान की गई है। इससे भारत की पोटाश खनिज पर आयात निर्भरता कम होने की संभावना है।

पोटाश के बारे में

- **परिभाषा:** पोटाश **पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम (K) लवणों** का अशुद्ध मिश्रण है।
- **मुख्य अयस्क:** सिल्वेनाइट
- **पोटाश का उपयोग:**
  - **कृषि: 90% से अधिक** पोटाश का उपयोग **उर्वरक** के रूप में किया जाता है। यह कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले तीन प्राथमिक पोषक तत्वों **(नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश)** में से एक है। इन्हें सामूहिक रूप से NPK कहा जाता है।
    - पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए NPK **पोषक तत्वों का आदर्श अनुपात 4:2:1** है।
  - **जल का शुद्धिकरण:** पोटाश एल्युम (Potash alum) जल की कठोरता को दूर करता है और इसमें **जीवाणुरोधी** गुण होते हैं।
  - **अन्य उपयोग:** इसका **ग्लास सिरेमिक, साबुन व डिटर्जेंट, विस्फोटक** आदि के निर्माण में उपयोग होता है।
- **पोटाश उर्वरकों के सामान्य प्रकार:** सल्फेट ऑफ पोटाश (SOP) एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP)।
- **मोलासेस से बनने वाला पोटाश (PDM):** यह **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना** के तहत **100% स्वदेशी उर्वरक** है।
  - **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना:** इसमें किसानों को **वास्तविक पोषक तत्व (नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम)** के आधार पर उर्वरक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- **पोटाश एक महत्वपूर्ण खनिज:** इसे **"खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन (MMDR) अधिनियम, 2023"** के तहत महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत में पोटाश का भंडार और आयात

- **भंडार:** राजस्थान (89%), मध्य प्रदेश (5%) और उत्तर प्रदेश (4%)
- **आयात:** भारतीय मिनरल ईयरबुक, 2022 के अनुसार, भारत अपनी पोटाश की **100% आवश्यकता को आयात** के माध्यम से पूरी करता है।

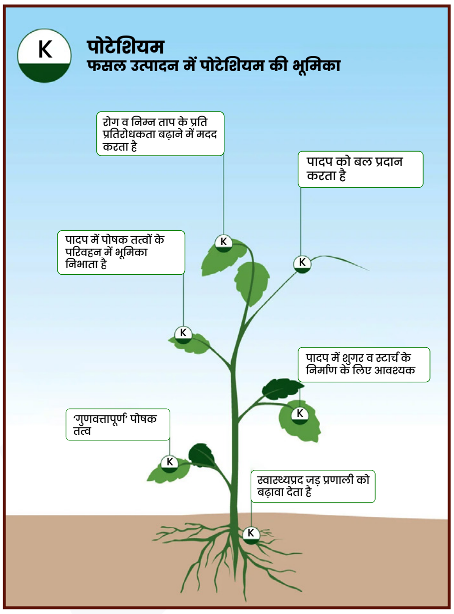

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने 'कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों से संबंधित कार्यालय** के सहयोग से जारी की गई है।

कृषि में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट:** फसल-क्षति का आकलन करने के लिए उपयोगी।
- **सिंथेटिक अपर्चर रडार:** बादलों की मौजूदगी में भी आपदा से पहले और आपदा के बाद की निगरानी के लिए उपयोगी।
- **LiDAR तकनीक:** परिशुद्ध सटीक कृषि और मृदा अपरदन के जोखिम के आकलन में सहायक।
- **GNSS प्रणाली:** सटीक अवस्थिति निर्धारण प्रदान करती है। इससे कृषि तकनीकों में सुधार होता है, उपज बढ़ती है और लागत घटती है।
- **भू पर्यवेक्षण और GNSS डेटा का एकीकरण:** खाद्य असुरक्षा की समस्या को हल करने में सहायक।

कृषि के लिए अंतरिक्ष क्षेत्रक के विविध खंडों से जुड़ी चुनौतियां और अवसर

अंतरिक्ष क्षेत्रक के खंड	चुनौतियां	अवसर
अपस्ट्रीम (अंतरिक्ष अवसंरचना विकास पर केंद्रित)	• उपग्रह के विकास के लिए **बाह्य सहायता पर निर्भरता**। • **सुदूर संवेदन नवाचार में ठहराव** की स्थिति।	**सभी की अंतरिक्ष तक पहुंच और बर्ड्स परियोजना** जैसी क्षमता-निर्माण पहलें मिशन की योजना बनाने और उपग्रह विकास में राष्ट्रीय क्षमताओं के विकास में मदद करती हैं। ये पहलें विशेष रूप से कृषि हेतु उपयोग पर केंद्रित मिशनों के लिए समर्थन प्रदान करती हैं।
मिडस्ट्रीम (डेटा प्रसंस्करण, भंडारण और प्रबंधन करना)	• भू पर्यवेक्षण और GNSS डेटा तक **सीमित पहुंच**। • **प्लेटफॉर्म्स के मध्य समन्वय के अभाव से** डेटा में असंगतियां आदि उत्पन्न होती हैं।	EAS के **कोपरनिकस ओपन एक्सेस हब** और नासा की **अर्थ डेटा जैसी पहल** डेटा साझाकरण दक्षता में सुधार करती हैं। साथ ही, समन्वय को सुनिश्चित करते हुए दोहराव को भी कम करती हैं।
डाउनस्ट्रीम (फसल और भूमि की स्थिति की निगरानी सहित व्यावहारिक कृषि उपयोग)	• **कृषि संबंधी निगरानी में खामियां**, जैसे फसली मौसम, मौसम संबंधी आंकड़े, फसली भूमि के मानचित्र आदि का अभाव।	**GEOGLAM और ESA की विश्व अनाज कार्यक्रम** जैसी पहलें डेटा साझाकरण व मानकीकरण को बढ़ावा देती हैं।

GNSS: ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम

EAS: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी

GEOGLAM: ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग इनिशिएटिव

गृह मंत्री ने 31 मार्च, 2026 तक वामपंथी उग्रवाद (LWE) को खत्म करने के लक्ष्य की पुष्टि की

गृह मंत्री का यह बयान **छत्तीसगढ़ के बीजापुर** में एक बड़े ऑपरेशन के बाद आया है। इस ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने 31 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया है। यह कार्रवाई वामपंथी उग्रवाद के खात्मे के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वामपंथी उग्रवाद (LWE) के बारे में

- भारत में **वामपंथी उग्रवाद को नक्सलवाद** के रूप में जाना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत **1967 में पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी विद्रोह** से हुई है।
- **वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा:** राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के साधन के रूप में हिंसा और सशस्त्र विद्रोह का उपयोग करना इनकी मूल विचारधारा है।
- **भारत का लाल गलियारा:** इसमें वामपंथी उग्रवाद प्रभावित भारतीय राज्य जैसे- **छत्तीसगढ़ (सबसे अधिक प्रभावित), झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल** शामिल हैं।
  - **प्रभावित जिलों में गिरावट:** देश में LWE से प्रभावित जिलों की संख्या 2013 में 126 थी, जो 2024 में घटकर केवल 38 रह गई है।
  - 2024 में **गिरफ्तार वामपंथी उग्रवादियों की संख्या में (17%), आत्मसमर्पण करने वाले (1.5 गुना) और मारे गए (5 गुना) की संख्या में तीव्र वृद्धि** दर्ज की गई है।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के उपाय

- **नीतिगत उपाय:** वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक समग्र **"राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" को 2015** में मंजूरी दी गई थी। **वर्ष 2017** में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए परिचालन सिद्धांत **'समाधान'/ SAMADHAN** की घोषणा की गई थी।
- **सुरक्षा संबंधी उपाय:**
  - **विशेष अवसंरचना योजना (SIS)** के तहत पुलिस स्टेशनों की किलेबंदी की गई है।
  - **सुरक्षा व्यय में वृद्धि:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा व्यय लगभग तीन गुना (लगभग 3,000 करोड़ रुपये) है।
  - **आक्रामक रणनीति:** ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन चक्रबंध इत्यादि।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए विकासात्मक उपाय

- **अवसंरचना:** पिछले 10 वर्षों में 14,000 कि.मी. से अधिक सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है।
- **शिक्षा:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में **216** एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) को मंजूरी दी गई है।
- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम:** गृह मंत्रालय को 35 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निगरानी का काम सौंपा गया है।
- **आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का पुनर्वास:** आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों को कानूनी सहायता, रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 2047 तक 350 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है

यह रिपोर्ट **भारतीय फार्मास्युटिकल अलायंस (IPA)** के सहयोग से जारी की गई है।

- **भारत की स्थिति:** वैश्विक स्तर पर **फार्मास्युटिकल उत्पादों की मात्रा के मामले में भारत तीसरे और मूल्य के मामले में 14वें स्थान** पर है। भारत **जेनेरिक दवाओं का शीर्ष उत्पादक** देश है। यह जेनेरिक दवाओं की वैश्विक मांग का **20% उत्पादित** करता है। साथ ही, विश्व की **60% वैक्सीन की आपूर्ति** करता है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग में बड़े बदलाव देखे गए हैं** (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **निम्नलिखित क्षेत्रों में अवसर:**
  - **सक्रिय औषध सामग्री (API): अमेरिकी बायोसिक्योर एक्ट** जैसी नीतियों के कारण चीन का API निर्यात घट रहा है। ऐसे में भारत, कम लागत के कारण, चीन का 20-30% बाजार हिस्सा हासिल कर सकता है।
    - **API:** किसी दवा में **जैविक रूप से सक्रिय घटक** होता है, जो इच्छित चिकित्सीय प्रभाव उत्पन्न करता है।
  - **बायोसिमिलर:** वैश्विक बायोसिमिलर बाजार **30 बिलियन डॉलर** का है, लेकिन भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग का हिस्सा **5% से भी कम** है। हालांकि, **नेशनल बायोफार्मा मिशन और तेलंगाना के जीनोम वैली विस्तार** जैसी पहलों से भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।
    - **बायोसिमिलर** दवाएं जैविक दवाओं से काफी मिलती-जुलती हैं। इन्हें **खमीर, बैक्टीरिया या पशु कोशिकाओं** जैसी जीवित प्रणालियों का उपयोग करके बनाया जाता है। इनकी संरचना व कार्य जैविक दवाओं की संरचना व कार्य के समान होते हैं।
  - **वैक्सीन:** भारत सस्ती वैक्सीन बनाने पर ज्यादा ध्यान देता है। इससे गरीब और विकासशील देशों को किफायती दवाएं मिलती हैं। हालांकि, उच्च-आय वाले देशों (जैसे अमेरिका और यूरोप) में महंगी एवं ब्रांडेड वैक्सीन की ज्यादा मांग होती है। भारत की कम कीमत वाली वैक्सीन इन बाजारों में ज्यादा जगह नहीं बना पाती हैं, जिससे वहां भारत की हिस्सेदारी सीमित रहती है। इसलिए, इसका उद्देश्य नवाचार, ब्रांड निर्माण आदि के माध्यम से **2047 तक अपनी वैश्विक हिस्सेदारी को 1.5% से बढ़ाकर 8% करना है।**

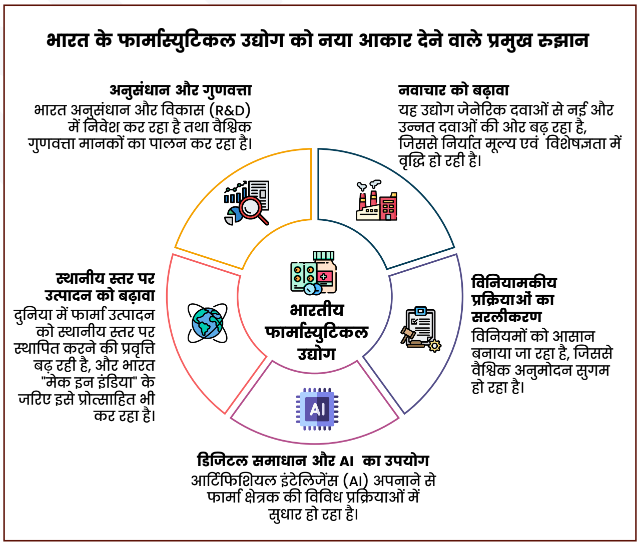

अन्य सुर्ख़ियां

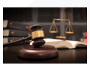

गैर-सरकारी विधेयक (Private Members' Bill)

हाल ही में, संसद में कुछ गैर-सरकारी विधेयक पेश किए गए।

गैर-सरकारी विधेयक (Private Members' Bill) के बारे में

- यह एक प्रकार का **विधायी प्रस्ताव** है। इसे संसद के उन **व्यक्तिगत सदस्यों (मनोनीत व निर्वाचित) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं।**
- इसका प्रारूप तैयार करना **संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी है।**
- सदन में इसे पेश करने के लिए **एक महीने का नोटिस आवश्यक है।**
- यह **सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के रुख को दर्शाता है।**
- **विधेयक प्रस्तुत करने और चर्चा के लिए समय का आवंटन:** लोक सभा में **प्रत्येक शुक्रवार को बैठक के अंतिम ढाई घंटे** गैर-सरकारी विधेयकों के लिए आवंटित किए जाते हैं।
  - राज्य सभा में **एक शुक्रवार के अंतराल पर बैठक के अंतिम ढाई घंटे** आवंटित किए जाते हैं।
- आज तक, **केवल 14 गैर-सरकारी विधेयक** पारित किए गए हैं और उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है।
  - **अंतिम बार 1970 में किसी गैर-सरकारी विधेयक को संसद में पारित** किया गया था।

बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC/ बिम्सटेक)

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने **गांधीनगर (गुजरात) में पहली बार बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन** की मेजबानी की।

- इसका लक्ष्य पूरे क्षेत्र में **युवा सहयोग को मजबूत करना और बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच युवाओं के नेतृत्व वाली पहलों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक** बनाना है।

बिम्सटेक के बारे में

- **सचिवालय: ढाका (बांग्लादेश)** में स्थित है।
- **उत्पत्ति:** इसका गठन **1997 में बैंकॉक घोषणा-पत्र** के माध्यम से किया गया था।
- **सदस्य:** बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान।
- **उद्देश्य:** तीव्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति व स्थिरता सुनिश्चित करना।
- **7 फोकस क्षेत्र:** व्यापार; पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन; सुरक्षा; कृषि एवं खाद्य सुरक्षा; लोगों के बीच संपर्क; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार; तथा कनेक्टिविटी।

प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)

PM-AJAY के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

PM-AJAY के बारे में

- **मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
- **प्रकार:** यह एक "केंद्र प्रायोजित योजना" है।
- **शुरुआत:** इसे 2021-22 में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:**
  - रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी कम करना;
  - अनुसूचित जाति बहुल गांवों में सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक संकेतकों में सुधार करना;
  - अनुसूचित जाति की साक्षरता बढ़ाना और स्कूलों एवं उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन को प्रोत्साहित करना आदि।
- **घटक:**
  - इसके तहत अनुसूचित जाति बहुल गांवों का "आदर्श ग्राम" के रूप में विकास किया जा रहा है।
  - अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए राज्यों/ जिलों को सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
  - अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रावासों का निर्माण/ मरम्मत कराया जा रहा है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

केंद्र सरकार ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत उन्नयन के लिए 338 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के बारे में

- **मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
- **विज़न:** यह एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। यह बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने पर केंद्रित है।
- **उद्देश्य:**
  - 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।
  - मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल ड्रॉपआउट की घटनाओं को कम करना।
  - पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता की क्षमता बढ़ाना।

पीएम युवा/ PM YUVA 2.0 (युवा, उभरते और बहुमुखी प्रतिभा वाले लेखक) 2.0 योजना

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पीएम युवा 2.0 योजना के तहत 41 नई पुस्तकों का विमोचन किया।

पीएम युवा 2.0 योजना के बारे में

- **मंत्रालय:** इसे शिक्षा मंत्रालय ने India@75 परियोजना (आजादी का अमृत महोत्सव) के हिस्से के रूप में 2022 में शुरू किया था।
- **इसके बारे में:** यह 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक मार्गदर्शक कार्यक्रम है।
- **उद्देश्य:** देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना तथा भारत व भारतीय लेखन को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना।
- **महत्त्व:** ऐसे लेखक तैयार करना जो भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने वाले विषयों पर लिख सकें।

मोरंड-गंजाल सिंचाई परियोजना

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने मध्य प्रदेश में मोरंड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण के खिलाफ चेतावनी दी।

मोरंड-गंजाल सिंचाई परियोजना के बारे में:

- इसमें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल, हरदा और खंडवा जिलों में सिंचाई में सुधार के लिए मोरंड व गंजाल नदियों पर दो बांधों का निर्माण शामिल है।
- **परियोजना के संभावित प्रभाव:**
  - **सामाजिक:** इससे 604 आदिवासी परिवारों सहित 644 परिवारों को विस्थापित किया जा सकता है।
  - **पर्यावरण:** जलाशय के पूर्ण स्तर पर सात लाख से अधिक पेड़ प्रभावित होंगे।
  - **वन्यजीव:** सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिज़र्व के बीच महत्वपूर्ण बाघ गलियारा नष्ट हो सकता है। इससे तेंदुए, भेड़िये, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घे आदि वन्य जीवों के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है।

तरलता कवरेज अनुपात (Liquidity Coverage Ratio: LCR)

RBI ने बैंकों को बड़ी राहत देते हुए तरलता कवरेज अनुपात (LCR) मानदंडों के कार्यान्वयन को एक साल के लिए टाल दिया।

तरलता कवरेज अनुपात (LCR) के बारे में

- तरलता कवरेज अनुपात (LCR), प्रमुख बेसल III सुधारों में से एक है।
  - बेसल मानदंड अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनियमन हैं, जो पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता पर केंद्रित हैं। इन मानदंडों को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा विकसित किया गया है।
- **लक्ष्य:** बैंकों को पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (HQLAs) का भंडार बनाए रखने के लिए बाध्य करना, ताकि 30 दिनों के संकट की स्थिति में भी बैंक की तरलता बनी रहे।
- **उद्देश्य:** बैंकों के अल्पकालिक तरलता जोखिम प्रबंधन में सुधार करना।
- LCR बैंकों को अधिक उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां (HQLAs) रखने के लिए बाध्य करता है, जिससे बाजार में धन की आपूर्ति (Money Supply) घट जाती है।

नेत्ज़ारिम कॉरिडोर (Netzarim corridor)

इजरायल-हमास युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायल ने नेत्ज़ारिम कॉरिडोर से अपनी सेना हटाने पर सहमति व्यक्त की।

नेत्ज़ारिम कॉरिडोर के बारे में

- यह 6 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जो गाजा के उत्तर और दक्षिण के बीच प्रमुख पहुंच बिंदुओं को नियंत्रित करता है।
- यह गलियारा पूर्व में इजरायली सीमा से लेकर पश्चिम में भूमध्य सागर तक फैला हुआ है।
- यह गाजा पट्टी को दो भागों में विभाजित करता है और गाजा सिटी के ठीक दक्षिण में स्थित है।

अन्य कॉरिडोर: फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और राफा कॉरिडोर।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

नामीबिया (राजधानी: विंडहोएक)

नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति, नामीबिया राष्ट्र के संस्थापक सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

भौगोलिक अवस्थिति

- **अवस्थिति:** अफ्रीका का दक्षिण-पश्चिमी तट।
- **पड़ोसी देश:** इसके उत्तर में अंगोला, उत्तर-पूर्व में जाम्बिया, पूर्व में बोत्सवाना, तथा दक्षिण-पूर्व और दक्षिण में साउथ अफ्रीका स्थित है।
  - इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर अवस्थित है।

भौगोलिक विशेषताएं

- **स्थलरूप:** तटीय नामीब रेगिस्तान, मध्य पठार और कालाहारी रेगिस्तान।
- **प्रमुख नदियां:** जाम्बेजी, माशी, ऑरेंज आदि।
  - जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है। यह अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को दो बार काटती है।
- **जैव विविधता:** मृग, चीता, जिराफ आदि।
  - प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से चीतों को लाकर भारत में फिर से बसाया जा रहा है।